<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>27.06.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने 26.06.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स केबीसी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में नासिक में स्थित 3.33 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 8.85 करोड़ रुपये) मूल्य की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटर भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण, श्रीमती आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य द्वारा आम जनता से प्राप्त धन का उपयोग करके उनसे प्राप्त निवेश पर भारी प्रोत्साहन और कमीशन का लालच देकर अर्जित किए गए सोने के बुलियन और आभूषण और चांदी के बुलियन शामिल हैं।

ईडी ने महाराष्ट्र के परबनी, नासिक और अन्य जिलों में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स केबीसी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों, भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण और आरती भाऊसाहेब चव्हाण के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि चव्हाण परिवार ने कंपनी के सह-आरोपी प्रमुख एजेंटों के साथ मिलकर मेसर्स केबीसी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केबीसी क्लब एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में संचालित एमएलएम (मल्टीलेवल मार्केटिंग) योजना के माध्यम से लोगों को लुभाने की साजिश रची, जिसमें जनता द्वारा किए गए निवेश पर आकर्षक रिफंड का वादा किया गया और उनसे 200 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08.03.2024 और 11.03.2024 को नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में 11 आधिकारिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था और आरोपियों की विभिन्न चल संपत्तियों को जब्त कर लिया था और 19.03.2024 को 84.24 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इसके अलावा, 10.06.2024 से 12.06.2024 के दौरान नैमको बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में रखे 4 लॉकरों में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां प्रमोटरों और उनके बेनामीदारों के नाम पर रखे गए 3.33 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बुलियन और आभूषण और चांदी के बुलियन बरामद किए गए और जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।